

भूक्षरण व भूमि सुधार

1. अर्थ : भूक्षरण का अर्थ भूमि की ऊपरी भाग की मिट्टी का किन्हीं कारणों से हटाये जाने से है। भूमि के ऊपरी भाग की मिट्टी से ही सभी फसलें उगाई जाती हैं। यह मिट्टी एक बहुत लम्बी अवधि में बनती है। सामान्यतः एक इंच मोटी मिट्टी से बनने में 500-1000 वर्ष लगते हैं। जबकि पानी या हवा थोड़ी देर में वहां से उड़ा ले जाते हैं।

2. भूक्षरण के तत्त्व

(1) जल : हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में भूक्षरण जल के कारण होता है। वर्षा का गिरता पानी मिट्टी को गीला करके उखाड़ देता है। फिर बहता पानी इसे बहाकर ले जाता है। वनस्पति से ढकी भूमि पर भूक्षरण कम होता है। जबकि नंगी भूमि पर भूक्षरण बहुत अधिक होता है। जल द्वारा भूक्षरण दो प्रकार का होता है।

(अ) नालों के रूप में भूक्षरण : चूंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी भू-भाग है, इसलिए ऊपरी घाटी में भूमि की ढलान अधिक होती है। अतः पानी का बहाव तेज होता है। यह पानी अपने किनारों को व तल को गहराई में काटता हुआ आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया में भूमि में नालियां या नाले बन जाते हैं।

(ब) ऊपरी सतह का क्षरण : घाटियों के निचले भागों में ढलान कम होती है। अतः पानी के बहाव की गति कम व पानी की मात्रा अधिक होती है। यह जल चौड़ाई में फैल जाता है तब यह भूमि की ऊपरी सतह का क्षरण (Sheet erosion) करता है।

(2) हवा : हवा से भी भूमि कटाव होता है। तेज हवा व तूफान मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। हिमाचल में ऐसा भूक्षरण लाहौल-स्पिति जिले में होता है।

(3) पशु : सामान्य रूप से सभी पशु विशेष रूप से बकरी भूक्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बकरी के खुरों से नर्म चट्टानों के अंश टूट-टूट कर गिरते हैं।

(4) मानव : कई बार मानव भी भूक्षरण के लिए उत्तरदायी होता है। सड़क, मकान, कारखाना या बांध आदि निर्माण कार्यों में वह भूमि को काट-काट कर फेंकता है। पहाड़ियों से चूना, रेत बजरी जैसी वस्तुओं के खनन में भी भूमि कटाव या भूक्षरण होता है।

3. भूक्षरण के दुष्प्रभाव

(1) धरातल की ऊपरी सतह बह जाने से नीचे चट्टानें व पत्थर के टुकड़े रह जाते हैं ऐसी भूमि पर कृषि नहीं की जा सकती।

(2) कई बार नदी व नाले रेत, बजरी व पत्थरों को बहा कर ले जाते हैं व खेती वाली भूमि पर उसे जमा कर देते हैं। इससे वह भूमि कृषि योग्य नहीं रहती।

(3) पहाड़ियों में नालियां बन जाने से वे अधिक कटी-फटी हो जाती हैं। उन पर पुलियों व पुल बनने से पहाड़ी भागों में सड़क निर्माण का व्यय बढ़ जाता है।

(4) बिजली व सिंचाई हेतु बनाये गये कृत्रिम जलाशयों में पानी के साथ बहकर आई मिट्टी जम जाने से उनकी जल-संग्रह क्षमता लगातार कम होती जाती है। फलस्वरूप ऐसी राष्ट्रीय परियोजनाओं का जीवन घट जाता है। भाखड़ा व पोंग बांध की झीलों में ऐसा ही हो रहा है।

4. हिमाचल के भूक्षरण क्षेत्र

भूक्षरण के विचार से हिमाचल प्रदेश को चार क्षेत्रों में बांट सकते हैं।

(1) **शिवालिक क्षेत्र** : इस भाग में राज्य का 35 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र व 33 प्रतिशत कृषि क्षेत्र शामिल है। चट्टानें कच्ची व कमजोर हैं। मिट्टी रेतीली है। पेड़ पौधे व प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम रह गई है। अतः यह भाग भूक्षरण से अत्याधिक प्रभावित है। ब्यास व गिरिवाटा नदियों के निचले भागों तथा ऊना में स्वां नदी के क्षेत्र में यह सबसे अधिक है।

(2) **मध्य पहाड़ी क्षेत्र** : राज्य का 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र व 53 प्रतिशत कृषि क्षेत्र इस भाग में शामिल है। गैर कृषि क्षेत्र वनों व घास से ढका है। चट्टानें कठोर हैं। यह भाग भूक्षरण से कम प्रभावित है। भूक्षरण यहां चट्टानों के खिसकने तथा धरातल पर नाले व नालियों के बनने से होता है।

(3) **ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र** : राज्य का 6 प्रतिशत भौगोलिक व 3 प्रतिशत कृषि क्षेत्र इस भाग में शामिल है। वनस्पति विहीन व बर्फ के पिघलते रहने से भूक्षरण बहुत अधिक है। तेज तूफान व हिमनद भूक्षरण करते हैं। लाहौल स्पिति किन्नौर व पांगी इसी भाग में हैं।

5. हिमाचल में भूक्षरण की सीमा

एक अनुमान के अनुसार खाली पहाड़ी पड़ी नंगी भूमि पर भूक्षरण प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 50 टन, रबी की फसल के अन्तर्गत खेती वाली भूमि पर 37 टन तथा वनस्पति से ढकी भूमि पर सिर्फ 0.5 टन होता है।

हिमाचल की सातवीं योजना के प्रारूप में अनुमान लगाया गया है कि राज्य की 2.3 लाख हैक्टेयर भूमि भूक्षरण से प्रभावित है।

6. भू-संरक्षण

छठी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल की 48,000 हैक्टेयर क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर भू-संरक्षण उपायों के लिए चुना गया। इसमें से 9000 हैक्टेयर क्षेत्र में छठी योजना में तथा शेष 39,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सातवीं व आगामी योजनाओं में भू-संरक्षण के उपाय अपनाये जायेंगे। 14,000 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधा रोपण किया जायेगा।

यह कार्य बहुत अधिक खर्चीला है। व्यय के अनुपात में तत्कालीन लाभ नहीं होते। भू-संरक्षण के उपायों से अधिक लाभ मैदानी भागों को होता है। जबकि व्यय हिमाचल के किसान को वहन करना पड़ता है। अतः इस कार्य में हिमाचल सरकार व भारत को भी शामिल होना चाहिए।

उपाय : भू-संरक्षण के लिए सरकार निम्न उपाय कर रही है।

(1) **राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** :- राष्ट्रीय परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र व शिवालिक पहाड़ियों में स्थित नदी क्षेत्रों में भारत सरकार व हिमाचल सरकार मिलकर कार्य कर रहे हैं। विश्व बैंक व यू.एस.एड. से भी सहायता मिल रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही ऊना में स्वां नदी के भूक्षरण क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। इस परियोजना पर 325 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे। संरक्षण का कार्य राज्य सरकार के सिंचाई, कृषि बागवानी व वानिकी विभाग मिलकर कर रहे हैं। इनमें अधिककटाव वाले नदी के किनारों पर तटबन्धों (embankment) का निर्माण, नदी जल ग्रहण क्षेत्र (catchment Area) में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर चैंक डैम, सड़कों के किनारे प्रतिधारण दीवारें (Retaining walls), पानी के लिए ढांचे तथा भुजा रोधों (Spurs) का निर्माण किया जा रहा है।

(2) **वन विभाग का कार्य** : अत्यधिक पशु चारण व वनों से कटाव के फलस्वरूप होने वाले भूक्षरण से उत्पन्न संरक्षण कार्यों का दायित्व वन विभाग को सौंपा गया है। इनके अधीन पहाड़ियों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। भारत-जर्मन सहयोग से विनवा नदी से जल-ग्रहण क्षेत्र में धौलाधार फार्म फारेस्ट्री परियोजना पूरी हो चुकी है। अब पालमपुर के चंगर क्षेत्र में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। साथ ही वनों के अधीन 50 प्रतिशत क्षेत्र को लाने का लक्ष्य रखा गया है। पशु चारण को नियमित व नियन्त्रित किया जा रहा है तथा बकरियों की चराई पर रोक लगाई जा रही है।

(3) सहायता अनुदान : हिमाचल सरकार लोगों की व्यक्तिगत स्तर पर 50 प्रतिशत ऋण व 50 प्रतिशत सहायता अनुदान देकर भू-संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इन कार्यों में भूमि को समतल करना, पट्टियों की शक्ल में खेत बनाना, मेढ़ बन्दी करना, मेढ़ों पर फलदार वृक्ष लगाने के कार्य शामिल हैं। ये कार्य कृषि विकास के तत्वाधान में होते हैं।

एक अध्ययन में बताया गया है कि अधिक वर्षा वाले भागों में खेत की पट्टियों का ढाल अन्दर की ओर, सामान्य वर्षा वाले भागों में समतल तथा कम वर्षा वाले भागों में बाहर की ओर रहना चाहिए।

7. सातवीं योजना में व्यय व लक्ष्य

छठी योजना में भू-संरक्षण उपायों पर 9.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। सातवीं योजना में 16 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। इससे कृषि विभाग 8.5 करोड़ रुपए व्यय करेगा। कृषि विभाग भू व जल संरक्षण उपायों पर 7 करोड़ रु० व सहायता अनुदान पर 55 लाख रुपये तथा गिरि-वाटा व शिवालिक क्षेत्र पर 10-10 लाख रुपए व्यय करेगा।

वन विभाग 5 वर्षों में 7.5 करोड़ रुपए व्यय करेगा। इसमें से 6.5 करोड़ रुपए वृक्षारोपण पर व्यय किया जायेगा। धौलाधार परियोजना पर 19 लाख व गिरिपरियोजना पर 15 लाख रुपए व्यय करेगा।

विकास कार्यों में 36000 हैक्टेयर क्षेत्र में सर्वेक्षण किए जाएंगे। कृषि भूमि पर भू-संरक्षण उपाय 6350 हैक्टेयर में अपनाये जायेंगे। 2000 हैक्टेयर क्षेत्र को व्यक्तिगत सहायता अनुदान द्वारा भू-संरक्षण किया जायेगा। 14000 हैक्टेयर क्षेत्र में नये वन लगाये जाएंगे।

वर्ष 1990-91 में विश्व बैंक की सहायता से हिमाचल की पहाड़ियों के लिए वाटरशेड विकास परियोजना (कन्डी) शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पांच छोटी नदियां मारकन्डा (सिरमौर), घग्घर व सरसा (सोलन), स्वां (ऊना) व चक्की (कांगड़ा) के जलग्रहण क्षेत्रों का इकोलोजिकल पुनर्वास करना है जिससे इस क्षेत्र को सूखे व भू-क्षरण से मुक्त किया जा सके।

(ब) हिमाचल प्रदेश में भूमि सुधार

1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन से पहले राज्य छोटी-बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। थोड़े से बड़े जमींदार ही भूमि के मालिक थे। शेष मुजारे थे। इन्हें चाहे बेदखल किया जा सकता था। साथ ही इनसे बेगार भी ली जाती। अलग-अलग रियासतों में भूमि सम्बन्धी नियम व कानून अलग-अलग थे। जो प्रतिगामी थे तथा शासकों के हित में थे। अतः तत्काल भूमि सम्बन्धी कुछ सुधार किये गये।

(i) छोटे सुधार : सबसे पहला काम उन सभी कानूनों को रद्द कर, पंजाब राज्य के नियम व कानून (स्थानीय हालत के अनुसार संशोधित कर) लागू किये गये ताकि सारे राज्य में एक समान भूमि सम्बन्धी कानून लागू हों।

(ii) करों का उन्मूलन : हिमाचल में वसूल किए जाने वाले 27 करों का उन्मूलन कर दिया गया। इनमें विभिन्न व्यवसायों के साथ उद्यापन, शुकुराना आदि कर शामिल थे। इनके साथ ही कुछ रीति रिवाज सम्बन्धी नज़राने भी समाप्त कर दिए गये। ये शासक के विवाह, मृत्यु, गद्दी नसीन, कर्ण छेदन आदि अवसरों पर लिए जाते थे। इनके अलावा ग्राम अधिकारी की नियुक्ति, भूमि को बेचने पर 5वां डिग्री से आगे उत्तराधिकारी पर लिए जाने वाले नज़राने भी समाप्त कर दिये गये।

(iii) अलग-अलग रियासतों में कुछ उपकर (सैस) वसूल किए जाते थे। इनमें बेगार व बैधू भी शामिल थे। इनको समाप्त करके भू-राजस्व का 20 प्रतिशत उपकर (समान सभी पर) लगा दिया गया। मई 1948 से बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया।

(iv) बंधुओं की दशा में सुधार : काश्तकारों का एक ऐसा वर्ग था जिसे शासकों की भूमि पर खेती करने के बदले व्यक्तिगत सेवा करनी पड़ती थी। पंजाब काश्तकारी अधिनियम 1989 की धारायें इन पर

भी लागू कर दी गई जिसके अधीन तीन पीढ़ी तक खेती करने वालों को डेढ़ गुणा लागत देकर भूमि पर स्थाई रूप से खेती करने का अधिकार मिल जाता। साथ ही इन्हें यह सुविधा भी दी गई कि ये 10 गुणा लागत देकर मलिकयत के सम्पूर्ण अधिकार पा सकते हैं।

(v) **आला-मालिक इंदराज की समाप्ति** : कुछ रियासतों में राजस्व रिकार्ड में समस्त भूमि के मालिक के रूप में आला मालिक दर्ज होता था। इससे वास्तविक खेती करने वालों के अधिकार समाप्त हो जाते थे। इस इंदराज को सगुप्त कर वास्तविक खेती करने वालों के नाम ज़मीन दर्ज कर दी गई।

(vi) **नैतोड़ नियम** : नैतोड़ भूमि देने सम्बन्धी नियम इस तरह के बनाये गये ताकि समाज के आर्थिक व सामाजिक तौर पर कमज़ोर वर्ग को अन्य वर्गों पर प्राथमिकता प्राप्त हो सके।

(vii) **जिन्स मामले को नकद मामले में बदलना** : कुछ रियासतों में भू-राजस्व आंशिक रूप में नकद व आंशिक रूप में जिन्स (भू-पैदावार) में अदा करना पड़ता था। अतः जिन्स के मूल्य का हिसाब लगाकर सारा लगान नकदी में बदल दिया गया।

(viii) **पंजाब काश्तकार अधिनियम** : (काश्तकारी को पक्का करने का अधिनियम) का लागू करना। गैर मौरूसीदार काश्तकारों को जब मन चाहे बेदखली से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश में सन् 1951 में पंजाब काश्तकर (सुरक्षा) अधिनियम लागू कर दिया गया।

इनके अलावा खेतीहर मजदूर की निम्नतम मजदूरी निश्चित कर दी गई तथा तहसीलदारों व नाइब तहसीलदारों को पंजीकरण के अधिकार भी दे दिए गये।

(ब) प्रमुख भूमि सुधार

2. **बड़ी भू-सम्पत्ति उन्मूलन** : हिमाचल प्रदेश में 1953 में बड़ी भू-सम्पत्ति उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1953 पास हुआ। इसमें पहली बार यह स्वीकार किया गया है कि भूमि उसकी जो हल चलाता है। यह नियम लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश था। 1954 में इसे लागू किया गया। प्रारम्भ में मालिकों ने आन्दोलनात्मक व कानूनी अड़चने खड़ी कीं परन्तु अन्ततः यह अधिनियम लागू हो गया।

इस अधिनियम के अधीन मजारा क्षति पूर्ति मुआवजा देकर भूमि के स्वामित्व का अधिकार पा सकते थे। जो मौरूसीदार काश्तकार थे वे अपने भू-लगान का 24 गुणा अदा कर भू-स्वामित्व पा सकते थे। गैर मौरूसी काश्तकार को 48 गुणा लगान अदा कर यह अधिकार प्राप्त हो सकता था।

इसी अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि ऐसी सभी भूमि जिस पर मालिक स्वयं काश्त नहीं करता और जिसका लगान 125 रुपये वार्षिक से अधिक है, उसका हस्तांतरण सरकार के नाम हो जायेगा। बाद में मुज़ारे उसके स्वामी बन सकेंगे।

इस अधिनियम में एक दोष भी था। इसमें भू-स्वामी के खुद काश्त के लिए गुज़ारे से कुछ सीमा तक भी भूमि रखने का कोई प्रावधान न था। अतः कई छोटे ज़मींदार खुद भूमिहीन हो गये।

1966 में पंजाब के पहाड़ी भाग हिमाचल में शामिल किए गये। पंजाब से आये क्षेत्रों में मुज़ारों को ऐसी सुविधा प्राप्त न थी। अतः 1971 में हिमाचल प्रदेश (स्थानान्तरित क्षेत्र) काश्तकार (अधिकार की रक्षा) अधिनियम पास कर दोनों भागों में एक समान भू-सुधार नियम लागू कर दिया गया।

3. **जोतों की सीमा का निर्धारण** : हिमाचल प्रदेश में भूमि सुधार के क्षेत्र में 1972 में एक और क्रान्तिकारी कदम उठाया। 1972 में भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया। इसका अधीन जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक ज़मीन थी उनसे वह ज़मीन ले ली गई ताकि इसे गरीब भूमिहीन किसानों में बांटा जा सके। समाजवाद की दिशा में यह एक क्रान्तिकारी कदम था, जिसके द्वारा अमीर व गरीब किसान के बीच की काई को काफी कम किया गया।

4. भूमि का पुनः वितरण : जोतों की निर्धारित सीमा से अधिक भूमि सरकार ने सम्पन्न भूमि स्वामियों से ले ली थी। इस भूमि को भूमिहीन किसानों में पांच वीघा अर्थात् एक एकड़ प्रति किसान के हिसाब से बांटना था। अतः भूमिहीन किसानों की पहचान का कार्य प्रारम्भ हुआ। राज्य में ऐसे 90 हजार काशतकारों की पहचान की गई। परन्तु जो भूमि जोतों की निर्धारित सीमा के फलस्वरूप प्राप्त की गई थी वह बहुत कम थी। अतः भू-वितरण में कठिनाई थी। अतः भूमि वितरण करने के लिए और अधिक जमीन की आवश्यकता थी। इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए हिमाचल प्रदेश कामन लैंड वैस्टिंग एण्ड यूटीलाइजेशन 1974 पास किया गया। इसके अधीन गांवों में शामिल जमीन सरकार के नियन्त्रण में आ गई। साथ ही सरकार के अपने स्वामित्व में पड़ी बेकार भूमि (वेस्ट लैंड) को भी इसमें शामिल कर लिया गया।

इस सारी भूमि का वितरण 90 हजार भूमिहीनों में इस तरह किया गया कि उन सभी के पास 5 वीघा अर्थात् एक एकड़ जमीन हो जाये। दूसरे शब्दों में जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं थी उन्हें 5 वीघा जमीन हो जाये।

इसके अधीन यह प्रावधान रखा गया था कि ऐसे भूमि स्वामी जिनकी भूमि पर मुजारे खेती करते हैं उन्हें अपने खुद के गुजारे के लिए भूमि चाहिए। मुजारे से कुछ भूमि वापिस छुड़ाने का अधिकार दिया गया था। वे 1.5 एकड़ सिंचित भूमि व 3 एकड़ असिंचित भूमि अपने निजी प्रयोग के लिए मुजारे से छुड़ा सकते हैं।

5. चकबन्दी : राज्य में किसानों की जीत का औसत आकार पहले बहुत कम अर्थात् 1.6 हैक्टेयर था। यह जोत भी एक जगह नहीं था। वरन् कई जगहों पर बिखरी थी। कुछ कहीं थे कुछ कहीं। अतः वह उनकी देखभाल नहीं कर सकने के कारण कई बार कई खेतों को खेती किए बिना छोड़ देता था। इससे कृषि उपज कम होती व किसान की आर्थिक दशा भी बिगड़ती।

अतः देश में व हिमाचल में भी चकबन्दी कानून पास किया गया। इसके अधीन जमीन की मूल्यानुसार अदला-बदली कर एक किसान की भूमि 1-2 स्थानों पर सीमित करने का प्रयास किया गया, ताकि वह अपनी भूमि का बेहतर प्रबन्ध कर अधिक कृषि उपज पैदावार अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। भू-रिकार्ड के अनुसार राज्य में 49 लाख एकड़ ऐसी भूमि का अनुमान था जिस पर चकबन्दी की जा सकती थी। मार्च 1991 के अन्त तक लगभग 18.5 लाख एकड़ भूमि पर चकबन्दी का कार्य पूरा हो चुका था। अधिक से अधिक ऊंचाई पर भी यह कार्य यथाशीघ्र पूरा हो सके इसके लिए सातवीं योजना में प्रति पटवारी 250 एकड़ प्रति वर्ष का लक्ष्य रखा था। अतः यह निश्चित किया गया कि यह कार्य 3 से 5 वर्ष में पूरी होने वाली सिंचाई परियोजनाओं के कमान्ड क्षेत्र में पहले किया जाए। इन क्षेत्रों में यह कार्य पूरा कर लिया गया है। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण 1990 तक यह कार्य पूरी तरह सम्पन्न होने की आशा कम है। सातवीं योजना में (1985-1990) 6.35 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में चकबन्दी का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

सातवीं योजना में मार्च 1989 तक (अर्थात् 4 वर्षों में) 4 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में चकबन्दी का कार्य पूरा हो चुका था। इस प्रकार 17 लाख एकड़ भूमि पर चकबन्दी हो चुकी है। 1990 में 77250 एकड़ भूमि पर चकबन्दी होगी इस प्रकार 1990 तक 17.77 लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी होने का अनुमान था, जो पूरा हो गया।

6. स्वामित्व का अधिकार देना : हिमाचल प्रदेश काशतकार एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 गैर स्वामित्व काशतकारों को स्वामित्व के अधिकार दे दिये गये हैं। शेष 38 हजार काशतकार बिना स्वामित्व के

रह गये हैं क्योंकि उनके पास संरक्षण वर्ग जैसे बच्चे, विधवा, सेवा में कार्यरत या अपंग व्यक्तियों के स्वामित्व की भूमि है।

अभ्यास-प्रश्न

(अ) निम्नवाचक प्रश्न

- (1) भूमि कटाव से क्या समझते हो ? कटाव करने वाले कौन-कौन से तत्व हैं ?
- (2) भूमि कटाव के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश की स्थिति समझाते हुए भूमि कटाव के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालिए।
- (3) भू-संरक्षण के उपायों व कार्यों का वर्णन करते हुए सातवीं योजना का व्यय व लक्ष्यों पर प्रकाश डालिये।
- (4) हिमाचल प्रदेश में इसके गठन के समय से कौन-कौन से भूमि सुधार किये गये हैं ? संक्षेप में वर्णन करो।
- (5) हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख सुधारों का विस्तार से वर्णन करो।

(ब) लघु-उत्तर प्रश्न

- (1) नंगी भूमि पर भूमि कटाव पर एक संक्षिप्त नोट लिखो।
- (2) भू-संरक्षण के निर्माण कार्यों का उल्लेख करो।
- (3) भू-संरक्षण के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रकाश डालिये।
- (4) हिमाचल में चकबन्दी के विकास पर एक संक्षिप्त नोट लिखो।
- (5) बड़ी भू-सम्पत्ति उन्मूलन कब व क्यों किया गया ? भू-स्वामित्व पाने के क्या नियम रखे गये ?

(स) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

रिक्त स्थान भरो :-

- (i) नंगी भूमि पर प्रति टन मिट्टी का कटाव होता है।
- (ii) हिमाचल प्रदेश के गठन करों का उन्मूलन किया गया।
- (iii) वेगार प्रथा समाप्त कर दी गई।
- (iv) जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण में किया गया।
- (v) ऊना में नदी भू-संरक्षण हेतु रुपये की योजना पर कार्य प्रारम्भ हो गया है।

सही (Ö) व गलत (x) के चिन्ह लगाओ।

- (i) शिवालिक क्षेत्र के नदी क्षेत्रों में यू.एस.एड. में वित्तीय सहायता मिल रही है।
- (ii) धौलाधार फार्म फोरैस्टर्री परियोजना का काम अभी चल रहा है।
- (iii) पंजाब काशतकार अधिनियम 1967 में हिमाचल प्रदेश पर लागू किया गया।
- (iv) राज्य में 90 हजार भूमिहीन काशतकारों की पहचान की गई।
- (v) राज्य में 1990 तक 3.9 लाख काशतकारों को भू-स्वामित्व का अधिकार मिल गया था।

